

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर मौजा पाटन के खाता सं० 216 खसरा सं० 518/240 रकबा 5.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 520/20 रकबा 2.9300 हैक्टे०, खसरा सं० 524/34 रकबा 0.7400 हैक्टे० व खाता सं० 215 खसरा सं० 242 रकबा 0.2600 हैक्टे० गै०मु० सड़क व खसरा सं० 263 रकबा 0.1300 गै०मु० सड़क में वादी का नाम समलसिंह पुत्र किशोर सिंह के स्थान पर शिमल सिंह पुत्र किशोर सिंह दुरुस्त किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(16)रीडर/2024/553 दिनांक 29.10.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

*Wkes*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को सरे इजलास सुनाया

गया।

*Wkes*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना



डिक्री बमुकदमें इब्लदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 107/2024

दायर दिनांक 05.07.2024

वादी

प्रतिवादी

1. शिमलसिंह पुत्र किशोर  
सिंह जाति राजपूत बनाम्  
निवासी पाटन तहसील  
डीडवाना जिला डीडवाना-  
कुचामन।

1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व-वाद बाबत

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनांक 31.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री महेन्द्र चौधरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर मौजा पाटन के खाता सं0 216 खसरा सं0 518/240 रकबा 5.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 520/20 रकबा 2.9300 हैक्टे0, खसरा सं0 524/34 रकबा 0.7400 हैक्टे0 व खाता सं0 215 खसरा सं0 242 रकबा 0.2600 हैक्टे0 गै0मु0 सड़क व खसरा सं0 263 रकबा 0.1300 गै0मु0 सड़क में वादी का नाम समलसिंह पुत्र किशोर सिंह के स्थान पर शिमल सिंह पुत्र किशोर सिंह दुरुस्त किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(16)रीडर/2024/553 दिनांक 29.10.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। वसवत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 31.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

*Wkas*  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

| मुददई   | रुपया | पैसे | मुदायलह   | रुपया | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जादावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>वावत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | -     | -    | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जा<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>वावत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक |       |      |
| मिजान   |       |      | मिजान   |       |      |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

*Wkas*  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना  
डीडवाना

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 107/2024

दायर दिनांक 05.07.2024

वादी

प्रतिवादी

1. शिमलसिंह पुत्र किशोर  
सिंह जाति राजपूत  
निवासी पाटन तहसील  
डीडवाना जिला  
डीडवाना-कुचामन।

1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व-वाद बाबत

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 31.12.2024

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत मौजा पाटन के खाता सं० 216 रकबा 518/240 रकबा 5.0600 हैक्टे० व खसरा सं० 520/20 रकबा 2.9300 हैक्टे० व खसरा सं० 524/34 रकबा 0.7400 हैक्टे० मौजा पाटन के खाता सं० 215 खसरा सं० 242 रकबा 0.2600 हैक्टे० गै०मु० सड़क व खसरा सं० 263 रकबा 0.1300 गै०मु० सड़क रहता चला आया है। जिसमें मेरा कब्जा काश्त हक अधिकार है। जिसमें मेरा नाम गलती से समल सिंह पुत्र किशारे सिंह दर्ज हो गया जबकि मेरा सही नाम शिमल सिंह पुत्र किशोर सिंह है। जो मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा मतदाता पहचान इत्यादि में मेरा नाम शिमल सिंह दर्ज है जो सही है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:-

अतः समलसिंह पुत्र किशोर सिंह के स्थान पर शिमल सिंह पुत्र किशोर सिंह राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(16)रीडर/2024/553 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व दस्तावेजों के अनुसार खसरा सं० 518/240, 520/20, 524/34, 242 व 263 वाकै सरहद पाटन में समलसिंह पुत्र किशोर सिंह के स्थान पर शिमल सिंह पुत्र किशोर सिंह राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना सही है। अतः वाद विवेचन, राजस्व वाद, वादी का डिक्री किया जाता है।

*ikas*  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना